

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या:-2551/आठ-3-22-06 महा0/2014
लखनऊ : दिनांक : 06 अक्टूबर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-440/आठ-3-21-06 महा0/2014 दिनांक 03.02.2021 एवं संख्या-2737/आठ-3-21-06 महा0/2014 दिनांक 22.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों द्वारा शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासकीय समिति का गठन/पुनर्गठन किया गया है। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त गठित शासकीय समिति को एतद् द्वारा निम्नवत् पुनर्गठित किया जाता है :-

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1 | सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| 2 | आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ | सदस्य |
| 3 | अधिकांश निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ | सदस्य |
| 4 | उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी संबंधित विनियमित क्षेत्र/ अध्यक्ष, संबंधित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5 | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ | सदस्य एवं संयोजक |
| 6 | निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0। | सदस्य |
| 7 | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 8 | मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक, संबंधित विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 9 | श्री एन0आर0 वर्मा, (तकनीकी सलाहकार), आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ | सदस्य |
| 10 | श्री जी0एस0 गोयल, (सलाहकार), आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ | सदस्य |
| 11 | प्रधानाचार्य राजकीय आर्किटेक्चर कालेज, लखनऊ | सदस्य |
| 12 | डा0 शास्वत बन्धोपाध्याय, प्रोफेसर, फ़ैकल्टी ऑफ प्लानिंग सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात (सदस्य उच्च स्तरीय समिति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार) | सदस्य |
| 13 | श्री जिग्नेश मेहता, सीनियर एसोशिएट प्रोफेसर, सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात (सदस्य उच्च स्तरीय समिति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार) | सदस्य |
| 14 | सुश्री रिजीत मैथ्यूज, डायरेक्टर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इण्डिया (सदस्य उच्च स्तरीय समिति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार) | सदस्य |

2- शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.09.2021 को उपरोक्तानुसार संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.09.2021 के शेष प्राविधान/निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे। शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.02.2021 के साथ शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप

महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण किये जाने हेतु निर्गत की गयी चेक लिस्ट संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या:-2551(1)/आठ-3-22-06 महा/2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
6. उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सस्त संबंधित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
11. मुख्य/नगर नियोजक, संबंधित विकास प्राधिकरण।
12. श्री एन0आर0 वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
13. श्री जी0एस0 गोयल, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
14. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्किटेक्चर कालेज, लखनऊ।
15. डा0 शास्वत बन्धोपाध्याय, प्रोफेसर, फैंकल्टी ऑफ प्लानिंग, सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात।
16. श्री जिग्नेश मेहता, सीनियर एसोशिएट प्रोफेसर, सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात।
17. सुश्री रिजीत मैथ्यूज, डायरेक्टर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इण्डिया।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अजय कुमार सिंह)

उप सचिव।